भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

वी. रामलिंगस्वामी भवन, पोस्ट बॉक्स नंबर-4911
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029, भारत
Tel: +91-11-26588895, 26588980, 26589794

V. Ramalingaswami Bhawan, PO Box No-4911
Ansari Nagar, New Delhi-110029, India
Fax: +91-11-26588662, icmr.nic.in

फा. सं. 16.1.2022-प्रशा.।। 　　　　　　　　　　　　दिनांक : 04.01.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव को रोकने के लिए निवारक उपायों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति।**

संदर्भ : **गृह मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के आदेश सं. 40-3/2020-DM-I(A)**
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.1.2022 के का.ज्ञा.11013/9/2014-स्था.ए-।।।

कोविड़-19 के मामलों में प्रारंभिक वृद्धि के संकेतों को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति के मामले की समीक्षा की गई और इस पर तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी, 2022 तक के लिए यह निर्णय लिया गया है कि:

(क) प्रशा. अधिकारी/लेखा अधिकारी/वैज्ञानिक-सी और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

(ख) वैज्ञानिक-सी से नीचे के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को नियमित करने हेतु संस्थानों/केन्द्रों/प्रभागों के सभी प्रमुख एक रोस्टर तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक वैकल्पिक दिन में 50 % अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हों, वे अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने घर से कार्य करेंगे और उन्हें हर समय टेलीफोन और इलेक्ट्रानिक संचार पर उपस्थित रहना होगा।

(ग) संस्थानों/केन्द्रों/प्रभागों के सभी प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले 50 % अधिकारी और कर्मचारी निम्नानुसार निर्धारित समय का अनुपालन करें :

प्रथम पाली : प्रात: 9:00 बजे से सांय: 5:30 बजे तक
द्वितीय पाली : प्रात: 10:00 बजे से सांय: 6:30 बजे तक

घ) सभी सार्वजनिक और कार्य-स्थलों पर मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

ड) सार्वजनिक और कार्यस्थलों में थूकना, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जो राज्य/संघ शासित/स्थानीय प्राधिकरणों के कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित हो सकता है।

च) सार्वजनिक स्थानों/कार्यस्थलों और परिवहन में सभी व्यक्ति सामाजिक (शारीरिक) दूरी बनाएं रखेंगे।

......2

छ) सभी प्रवेश द्वारों और बाहर जाते हुए और सार्वजनिक क्षेत्रों में थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइजर करने का प्रावधान करना होगा।

ज) कार्यस्थल, सामान्य सुविधाएं और सभी बिंदुओं जिनसे मानव संपर्क में आ सकता है अर्थात दरवाजे का हेंडल आदि को पाली के दौरान बार-बार सेनेटाइज किया जाएगा।

झ) बैठकें, जहां तक संभव हो, विडियों-कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की जाएगी और आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, जब तक की जनहित में बिल्कुल भी आवश्यक न हो, तब तक टाली जाए।

ड.) दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने में छूट दी जाएगी, किंतु उन्हें घर से काम करने की आवश्यकता होगी।

ट) कर्मचारियों के मध्यान्ह भोजन का समय अलग-अलग रखना होगा।

ठ) जिन कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है, वे कार्यालय की पूर्व अनुमति लिए बिना स्टेशन नहीं छोड़ेगे ।

ड) कोई भी मामला, जिस पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे उचित माध्यम से वरि. अधिकारी को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा।

ढ) यदि अधिकारियों को कार्य की अति आवश्यता के लिए बुलाया जाता है, तो घर से काम करने वाले अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

ण) प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी जबतक प्रतिबंधित क्षेत्र को अप्रतिबंधित (डिनोटिफाइड) नहीं किया जाता ।

राजेश 04/01/2022

(जगदीश राजेश)
सहा. महानिदेशक (प्रशा.)

परिषद के सभी स्थाई संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/निदेशक प्रभारी

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. सभी प्रभाग प्रमुख
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)
4. सहा.महानिदेशक (प्रशा.) / सहा. महानिदेशक (वित्त)
5. डॉ एल.के.शर्मा, वैज्ञानिक “एफ” - परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, इस कार्यालय ज्ञापन की सॉफ्ट कापी आपकी मेल आईडी (sharma.lk@icmr.go.in) पर मेल कर दी गई है ।